

धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु जाच आख्या

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या.....
वार कोड.....

भाग- 1 (ख) आवेदक भूमिधर का विवरण

1.01	आवेदक भूमिधर का नाम	
1.02	पिता/पति/संरक्षक का नाम	
1.03	आवेदक का पता	
1.04	आवेदक का आधार नम्बर	
1.05	आवेदक का मोबाइल नम्बर	
1.06	आवेदक का ई-मेल (यदि हो)	

			अभ्युक्ति
1.07	क्या धारा 80 (1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित भूमि का सम्मिलित खाता है ?	हाँ/नहीं	
1.08	यदि सम्मिलित खाता है, तो क्या सभी सह-खातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र उपलब्ध है ?	हाँ/नहीं	
1.09	क्या सभी सह-खातेदारों द्वारा नजरी नक्शा पर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाया गया है ?	हाँ/नहीं	
1.10	क्या आवेदक द्वारा प्रस्तावित गाँव पर किया जा रहा गैर कृषिक उपयोग आवेदन के अनुरूप है ?	हाँ/नहीं	

211-2 (H)

गैर-कृषिक उपयोग हेतु भोग्या के लिये प्रस्तावित गाटे/गाटों का विवरण

2.01	जिला	
2.02	तहसील	
2.03	परगना	
2.04	राजस्व ग्राम	
2.05	फराली वर्ष	
2.06	खाता नं०	
2.07	खाते में सम्मिलित गाटों की संख्या जिनके सन्दर्भ में घोषणा प्रस्तावित है	

क्रमा सं/0	गाटा संख्या	गाटे का ग्राहक काड	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०)	क्या गाटे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल की घोषणा होनी है अथवा उसके दिक्ती भाग की। (पूर्ण/आंशिक)	गाटे का क्षेत्रफल जिराको मैर-कृषिक घोषित किया जाना है (हे०)	वर्तमान भू-उपयोग (आवासीय/ वाणिज्यिक/ औद्योगिक)	प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा निश्चित सकिल रेट (रुपये प्रति हे०)	मैर-कृषिक घोषणा हेतु शुल्क (1 प्रतिशत) जो जमा किया जाना अपेक्षित है (6)*(8)*1/100 (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

योग

भाग-3 (ख)

सह-खातेदारों का विवरण

		आवेदक द्वारा दी गयी सूचना से सहमत/असहमत
3.0	सह-खातेदारों की संख्या	
3.11	1- सहखातेदार का नाम	
3.12	पिता/पति/संरक्षक का नाम	
3.13	पता	
3.14	आधार नम्बर	
3.21	2-सहखातेदार का नाम	
3.22	पिता/पति/संरक्षक का नाम	
3.23	पता	
3.24	आधार नम्बर	

		जांच अधिकारी की टिप्पणी
4.01	क्या उद्घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे/गाटों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी भी राजस्व न्यायालय में किसी धारा के अन्तर्गत कोई वाद विचाराधीन है? यदि हाँ तो वाद की कमप्यूटरीकृत वाद संख्या	हाँ/नहीं
4.02	क्या प्रस्तावित गाटे/गाटों के उपयोग के संदर्भ में धारा 133 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पूर्व में कोई वाद संस्थित हुआ था ? यदि हाँ तो- न्यायालय का नाम वाद संख्या	हाँ/नहीं
	क्या सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश/निषेधाज्ञा वर्तमान में प्रभावी है ? यदि हाँ तो आदेश का दिनांक	हाँ/नहीं
4.03	क्या प्रस्तावित गाटे/गाटों के उपयोग के संदर्भ में धारा 133 द०प्र०सं० के अन्तर्गत कोई वाद वर्तमान में प्रचलित है? यदि हाँ तो- न्यायालय का नाम वाद संख्या	हाँ/नहीं
	क्या सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कोई अन्तर्गत आदेश/निषेधाज्ञा वर्तमान में प्रभावी है ? यदि हाँ तो आदेश का दिनांक	हाँ/नहीं
4.04	क्या धारा 80(1) के अन्तर्गत घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे/गाटों की अवस्थिति किसी स्थायी निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा घोषित किसी महायोजना के अन्तर्गत है ? यदि हाँ तो घोषणा हेतु प्रस्तावित गाटे/गाटों का उस घोषित महायोजना में प्रस्तावित प्रयोजन अथवा भू-उपयोग क्या है ? यदि हाँ तो क्या घोषणा किये जाने वाले गाटा/गाटों का वर्तमान उपयोग घोषित महायोजना के अनुरूप है ?	हाँ/नहीं

आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं की संगत राजस्व अभिलेखों से पुष्टि की गयी तथा आवेदित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
द स्थानीय जांच की गयी। जांच के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (i) आवेदक, आवेदित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है / नहीं है।
- (ii) आवेदन पत्र में उचित भूमि सार्वजनिक / सुरक्षित श्रेणी की भूमि है / नहीं है।
- (iii) उक्त भूखण्डों / गाटों के सम्बन्ध में किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद वर्तमान में विचाराधीन है / नहीं है।
- (iv) आवेदित भूमि को गैर-कृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है / नहीं की जाती है।
- (v) यदि संस्तुति नहीं की जाती तो विवरण / कारण अंकित किया जाये।

संस्तुति न किये जाने का कारण / विवरण (यथावश्यकता अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जा सकते हैं) :-

निरीक्षणकर्ता अधिकारी (राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार) का नाम

पदनाम तहसील जिला

निरीक्षण का दिनांक

निरीक्षण के समय उपस्थित अन्य अधिकारियों/पक्षकारों/साक्षीगण का विवरण

क्र०सं०	नाम व पदनाम	पता	हस्ताक्षर

दिनांक:

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम	नाम	अभ्युक्ति/संस्तुति
नायब तहसीलदार तहसीलदार		(क) प्रस्तावित गाटे के सम्पूर्ण क्षेत्रफल/उसकी किसी भाग की घोषणा किये जाने की संस्तुति— आवेदक श्री/सुश्री पिता/पति/संरक्षक भूमिधर द्वारा राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित, 2016) की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत गाटा सं०—..... खतौनी खाता सं०—..... यूनीक गाटा सं०—..... के क्षेत्रफल हे० को गैर-कृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की जाती है।
		(ख) प्रस्तावित गाटे की घोषणा की संस्तुति नहीं की जा सकती :- आवेदक श्री/सुश्री पिता/पति/संरक्षक भूमिधर द्वारा राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित, 2016) की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत गाटा सं०—..... खतौनी खाता सं०—..... यूनीक गाटा सं०—..... क्षेत्रफल हे० को गैर-कृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति निम्न कारणों से नहीं की जाती है— 1. 2. 3.

दिनांक

हस्ताक्षर

PDF Hub - SarkariAsk

This copy includes an additional page linking to the SarkariAsk PDF Hub.

Document pages include a link back to the PDF Hub.

SarkariAsk is an independent information website. This source page does not make the original document an official or certified copy.

Check the document record and the relevant authority before official use.

Open the PDF Hub:

<https://sarkariask.com/pdf/>